### <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—299 / 2017</u> संस्थित दिनांक—04.07.2017 ठाईलिंग क.234503010342017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — —

<u>अभियोजन</u>

## / / विरुद्ध / /

सुरेश कुमार धुर्वे पिता समलिसंह, उम्र—30 वर्ष, निवासी—वार्ड कं.10 रेंहगी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — —

## / / <u>निर्णय</u> / /

## (आज दिनांक-06/07/2017 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मो.या.अधि. की धारा—184, 146/196 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.06. 2017 को समय 12:30 बजे सोसायटी के सामने कोहकाटोला मेन रोड ग्राम लोरा बिरसा में ग्रे कलर की हीरो होण्डा एच.एफ डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी. 50/एम.एच—8698 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत जितेन्द्र को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित कर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से एवं बिना बीमा के चलाया।

2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा—184, 146/196 राजीनामा योग्य नहीं होने से उक्त धाराओं में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अस्पताल तहरीर क 14/2017 दिनांक 07/06/2017 प्राप्त होने पर जांच के दौरान चश्मदीद साक्षी श्रीमित गायत्रीबाई से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने कथन में लेख कराया था कि दिनांक 06.06.2017 को 12:30 बजे दिन की बात है। वह पानी भरने के लिए अपने मकान के सामने रोड पार कर कुंए पर गयी थी। तब उसका पुत्र जितेन्द्र कुंए के पास सेड किनारे खड़ा था। तभी मोहगांव तरफ से लोरा तरफ जाने वाली ग्रे कलर की हीरो होण्डा एच.एफ डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50/एम.एच–8698 का चालक तेजगति लापरवाहीपूर्वक खतरनाक ढ़ंग से चलाकर रोड किनारे खड़े उसके पुत्र जितेन्द्र को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तब बालाघाट तरफ से आ रही 108 एम्बूलेंस से बिरसा अस्पताल उपचार हेतु ले जाकर भर्ती किया था। घटना को राधिकाबाई ने देखी थी। पुलिस ने चश्मदीद साक्षी गायत्रीबाई के कथन लेखबद्ध कर आहत का मेडिकल परीक्षण कराकर जांच उपरांत थाना मलाजखण्ड ने अपराध कमांक–74/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तृत किया था।
- 4— अभियुक्त को निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

#### 5— <u>प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दू निम्नलिखित है</u>:–

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.06.2017 को समय 12:30 बजे सोसायटी के सामने कोहकाटोला मेन रोड ग्राम लोरा बिरसा में ग्रे कलर की हीरो होण्डा एच.एफ डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50 / एम.एच—8698 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया था ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त

वाहन को बिना बीमा के चलाया था ?

# विवचेना एवं निष्कर्ष

# विचारणीय बिंदु कमांक-01 का निराकरणः-

- 6— गायत्रीबाई अ.सा.1 एवं संतलाल अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानते हैं। घटना पंद्रह-बीस दिन पूर्व दिन के 12:30 बजे ग्राम लोरा की है। गायत्रीबाई अ.सा.01 का कहना है कि वह कुंए पर पानी भरने के लिए घर के सामने रोड पार करके गयी थी। उसी समय उसका पुत्र उसके पीछे आकर रोड पर खड़ा था। उस समय मोहगांव तरफ से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने रोड किनारे खड़े उसके पुत्र को टक्कर मार दी थी। साक्षी उसके पुत्र को लेकर अस्पताल गयी थी। साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल बताया था। पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.01 बनाया था।
- संतलाल अ.सा.2 का कहना है कि घटना के समय वह ग्राम मोहगांव गया था। तब करीब 12:30 बजे फोन से उसे सूचना मिली थी की उसके पुत्र का एक्सीडेंण्ट हो गया है। घटना कैसे हुई थी वह नहीं बता सकता। किस गाड़ी से एक्सीडेण्ट हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं है। गायत्रीबाई अ.सा.०1, संतलाल अ.सा.०2 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। दोनो साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में इस विचारणीय प्रश्न की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ग्राम लोरा बिरसा में ग्रे कलर की हीरो होण्डा एच.एफ डिलक्स मोटरसाईिकल कमांक एम.पी.50 / एम.एच-8698 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर मानवन जीवन संकटापन्न किया था।

## विचारणीय बिंदु कमांक 02 एवं 03 का निराकरणः-

- गायत्रीबाई अ.सा.01, संतलाल अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय अभियुक्त उसके वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से बिना बीमा के चला रहा था। उक्त दोनो साक्षीगण ने घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है एवं अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में विवेचक की साक्ष्य नहीं करायी है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय अभियुक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को चला रहा था। इस कारण यह अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से बिना बीमा के चलाया था।
- 9— अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा–184, 146 / 196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 10-
- अभियुक्त का धारा–428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। 11-
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ग्रे कलर की हीरो होण्डा एच.एफ डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50 / एम.एच-8698 को अनुषंधान अधिकारी नये नियमों के अनुसार व्ययन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट